न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 105/2017

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. हड़मानराम पुत्र हरदीनराम जाति मेघवाल निवासी खराड़ी तहसील जैतारण जिला पाली		1. गीता पुत्री हरदीनराम जाति मेघवाल निवासी हाल पृथ्वीपुरा तहसील जैतारण 2. रतनाराम पुत्र हजारीराम 3. निहालराम पुत्र हजारीराम 4. मांगीलाल पुत्र हजारीराम फौत के कायम मुकामान :- 4.1 गीतादेवी पत्नि मांगीलाल जातियान-मेघवाल, निवासी-खराड़ी तहसील-जैतारण, जिला-पाली 5. तहसीलदार, तहसील जैतारण जिला-पाली (राज.)

दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.02/06/2017**

उपस्थितः. 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री सोमाराम चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 17/05/2018**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि सरहद मौजा-खराड़ी, पटवार हल्का डिगरना, तहसील-जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 व अन्य सहहिस्सेदारों की पैतृक पुश्तैनी शामलाति खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बरान 222 रकबा 8-18 बीघा किस्म बारानी, खसरा नम्बर 286 रकबा 5-11 बीघा बारानी दोयम, खसरा नम्बर 689 रकबा 5-15 बीघा, कुल खसरा 3 कुल रकबा 20-04 बीघा की आई हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 का 1/4 वां हक हिस्सा व अधिकार है, शेष भूमि दिगर हिस्सेदारों की है, इसी प्रकार खसरा नम्बर 690 रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल में 1/8 वां हक हिस्से की भूमि आई हुई है। नकल जमाबंदी वादपत्र के साथ पेश है। जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। उपरोक्त वर्णित आराजी वादी के दादा हजारीराम के नाम की थी जिनके फौत होने के बाद उनके चारों वारिसान हरदीनराम, रतनाराम, निहालराम व मांगीलाल पिसरान हजारीराम के नाम से उक्त भूमि दर्ज हुई थी, जिसमें से खसरा नम्बर 222, 286, 689 की सम्पूर्ण भूमि हजारीराम के वारिसान की है इसी प्रकार खसरा नम्बर 690 में हजारीराम का 1/2 वां हक हिस्सा व अधिकार था, शेष 1/2 वां हिस्सा हजारीराम के छोटे भाई सूजाराम के नाम था जो

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

वर्तमान में उनके वारिसान के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वादी निहालराम पुत्र हजारीराम का जन्मत पुत्र है, तथा वादी के बड़े पिता हरदीनराम के कोई जायंदा पुत्र नही होने की वजह से आज से लगभग 22 वर्ष पूर्व जब वादी लगभग 6-7 वर्ष की आयु का था उस समय हरदीनराम व उनकी पत्नि झणकारी देवी ने माफिक हिन्दू रिति रिवाज अनुसार वादी को गोद लिया था, उस दौरान वादी के पिता निहालराम व वादी की जन्मत माता गणकीदेवी वादी को हरदीनराम के गोद दिया था, तब माफिक सामाजिक रिति रिवाज अनुसार वर्ष 1995 में अक्षय तृतीया के दिन वादी को गोद लेने के लिए वादी को गोद में बैठया, पाग बंधाई उस दौरान गांव के लोगों व रिश्तेदारों एवं सगे संबंधियों को ईकट्ठा कर गोद लेने के उत्सव का आयोजन किया गया व मिठाईयां बंटाई गई व गोदनामा का अनुष्ठन किया गया, इस प्रकार से अक्षय तृतीया के दिन वर्ष 1995 से लेकर वादी को जाति समाज में व गांव में हरदीनराम के पुत्र की हैसियत से जाना व पहचाना जा रहा है। इसी माफिक वादी का चुनाव परिचय पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड व अन्य संबंधित दस्तावेजात में वादी की वल्दियत हरदीनराम ही दर्ज है। वादी के पिता जब तक जीवित रहे थे उस दौरान वादी उनके पुत्र की हैसियत से साथ में रहा था, हरदीनराम का देहान्त दिनांक 5/6/1996 को हो गया था, तदुपरान्त वादी अपनी दत्तक माता झणकारीदेवी के साथ पुत्र की हैसियत से रहा था, झणकारी देवी का देहान्त दिनांक 3/9/2009 को हो गया था, जिनके मृत्यु प्रमाण पत्र की नकल इस वादपत्र के साथ पेश है। वादी के दत्तक माता पिता की मृत्यु के उपरान्त वादी स्वयं हरदीनराम की चल व अचल जायदाद का उपयोग उपभोग पुत्र की हैसियत से कर रहा है एवं अपनी बहिन प्रतिवादीगण संख्या 1 के लिए भी भाई की हैसियत से समस्त दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। वादग्रस्त भूमि अभी तक राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता हरदीनराम के नाम ही दर्ज है। वादी को सामाजिक रिति रिवाज अनुसार गोद लिया गया होने से एवं गोदनामा पंजीयन नही होने की वजह से वादी के पिता की मृत्यु के बाद नामान्तरणकरण की कार्यवाही वादी व उसके बहिन की नाम से नही हो पा रही है जिससे वादी को भारी परेशानी हो रही है एवं इस प्रकार की कार्यवाही हेतु वादी द्वारा हल्का पटवारी से निवेदन करने पर, हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 05/05/2017 को बिना पंजीबद्ध गोदनामा के वादी के नाम से नामान्तरणकरण की कार्यवाही करने से इंकार कर दिया है एवं इस बाबत् कानूनी कार्यवाही करने की हिदायत दी है जिस पर यह वादपत्र बाबत् घोषणा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक व पुश्तैनी है जिसमें वादपत्र के पद संख्या 1 व 2 में वर्णित वादी अपने पिता हरदीनराम की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज है। लेकिन राजस्व रेकर्ड में भूमि वादी के नाम दर्ज नही होने की वजह से इस भूमि के सहहिस्सेदार विवाद कर रहे है। जिससे वादी को भारी नुकसान हो रहा है। एवं वादी अपने जायज हक व अधिकारों से महरूम हो रहा है तथा प्रतिवादीगण संख्या 02 व अन्य सहहिस्सेदार द्वारा वादी को उसके हक हिस्से की आराजी से बेदखल करने व मौके पर बाधा व दखलदांजी करेंगें जिससे मौके पर विवाद बढेगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसेडिंग्स होगी। तथा वादी अपने साम्पैतिक हक व अधिकारों से हमेशा के लिये महरूम हो जायेगा तब वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वादपत्र बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादीगण संख्या 5 तहसीलदार जैतारण उक्त वादपत्र में आवश्यक पक्षकार होने से उनको पक्षकार बनाया गया है जबकि इनके विरूद्ध

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

वादीगण के कोई अनुतोष नही चाहा है। बिनाय वाद दिनांक 05/05/2017 को हल्का पटवारी द्वारा वादी के नाम से नामान्तरणकरण की कार्यवाही करने से इंकार कर देने व इस बाबत् कानूनी कार्यवाही करने की हिदायत देने पर बमुकाम खराड़ी तहसील जैतारण जिला पाली में पैदा हुआ है जो अन्दर म्याद व श्रीमान् के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन गलत किये गये। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 बावजूद सम्मन सूचना तामिल के अनुउस्थित रहने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। बाकी एक वकील एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 मय वकील ने राजीनामा पेश किया, जो पृथ्क से तस्दीक किया जाकर सा0मि0 किया गया। राजीनामा में जाहिर किया कि सरहद मौजा खराड़ी में हजारी पैतृक पुश्तैनी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 222,286,689 आई हुई है, जिसमें हक पक्षकारान का 1/4वां हक हिस्सा है, इसी प्रकार खसरा नम्बर 690 में हक पक्षकारान का 1/8 वां हिस्सा है। वादी के बड़े पिता हरजीराम के कोई जायन्दा पुत्र नही होने से लगभग 22 वर्ष पूर्व जब वादी हडमानराम 6-7 वर्ष का था उस समय हरदीनराम व उसकी पत्नि झणकारी देवी ने हडमानराम को रीति रिवाज अनुसार गोद ले लिया था तब से ही हडमानराम को हरदीनराम का पुत्र माना गया है। हरदीनराम व उनकी पत्नि के देहान्त उपरान्त उनके समस्त क्रियाकर्म बारहवां गंगाप्रसादी भी हडमानराम ने ही किये थे। इसी वजह से मुझे गीतादेवी ने की हडमानराम को अपना भाई होना मंजूर किया है। वादपत्र में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि में जो हरदीनराम व झणकारी देवी फौत हो जाने से जो भूमि उनके नाम दर्ज है उसके खातेदारी अधिकार हक पक्षकारान के नाम किये जावे इससे हक दोनों भाई बहन सहमत है।

तहसीलदार जैतारण से प्रकरण में वस्तुस्थिति की जांच रिपोर्ट की गई। जांच रिपोर्ट में जाहिर किया कि ग्राम खराडी की वर्तमान जमाबंदी 2070-73 में खाता संख्या 657 खसरा नम्बर 222, 286, 689 कुल खसरा 3 कुल रकबा 20-04 बीघा में खातेदार का नाम हरदीन, रतना, नियाल, मांगीलाल पिता हजारीराम कौम भांबी सा.देह खातेदार दर्ज है। तथा खाता संख्या 658 खसरा नम्बर 690 रकबा 13-17 बीघा में खातेदार का नाम हरदीन, रतनाराम, नियालराम, मांगीलाल पिता हजारीराम, हरलाल पिता सूजा हीरालाल बाबुलाल केली बिदामी कंचन मुन्नी भडलाई पिता घीसाराम लकीया बक्शा पिता मोहन कौम भांबी सा.देह खातेदार दर्ज है। ग्राम खराडी में मालुमात किया तो बताया कि हरदीन पिता हजारीराम जाति मेघवाल की लगभग 20 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है तथा हरदीनराम की पत्नि झणकारी देवी का भी देहान्त लगभग 8 वर्ष पूर्व हो चुका है। हरदीनराम के जायन्दा वारिसान केवल एक पुत्री(गीता) होने के कारण आज से लगभग 20-22 वर्ष पहले हरदीनराम व उनकी पत्नि झणकारी देवी ने हडमानराम को हिन्दु रीति रिवाज के अनुसार गोद लिया था। वर्तमान में हडमानराम ही हरदीनराम का गोदपुत्र है। तथा गोदपुत्र की हैसियत से जाना पहचाना जा रहा है। निहालराम ने स्वयं इसको सही होना स्वीकारा है तथा सभी दस्तोवज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशनकार्ड आदि में हडमानाराम के पिता का नाम हरदीनराम दर्ज है। जांच रिपोर्ट सा0मि0 हैं।

पत्रावली आम राजस्व लोक अदालत केम्प-आ.कालू पेश हुई। पत्रावली मय दस्तावेजात, राजीनामा, तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन कर अध्ययन किया गया। वस्तुत इस पत्र के साथ साक्ष्य सबूत

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

में दस्तावेजात आधार कार्ड 511737943585, भारतीय निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र संख्या, राशन कार्ड संख्या 200001644801 आदि में वादी के पिता का नाम हरदीनराम ही दर्ज है। पक्षकारान ने राजीनामा में भी जाहिर किया है कि हरदीनराम की खातेदारी की भूमि में उनके फौत हो जाने से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 गीता को खातेदार घोषित किया जावे। अतः माफिक राजीनामा एवं जांच रिपोर्ट अनुसार मौजा खराडी के खसरा नम्बर 222,286,689 कुल खसरा 3 कुल रकबा 20-04 बीघा तथा खसरा नम्बर 690 रकबा 13-17 बीघा में हरदीनराम पुत्र हजारीराम के हिस्से की भूमि में गोदपुत्र हडमानाराम व पुत्री गीता को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते है।

-::आदेश::-

अतः माफिक राजीनामा डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-खराड़ी, पटवार हल्का डिगरना, तहसील-जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 व अन्य सहहिस्सेदारों की पैतृक पुश्तैनी शामलाति खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बरान 222 रकबा 8-18 बीघा किस्म बारानी, खसरा नम्बर 286 रकबा 5-11 बीघा बारानी दोयम, खसरा नम्बर 689 रकबा 5-15 बीघा, कुल खसरा 3 कुल रकबा 20-04 बीघा एवं खसरा नम्बर 690 रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल भूमि में खातेदार हरदीनराम फौत के हिस्से की भूमि में वादी एवं प्रति0 संख्या 01 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर साथिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 17/05/2018 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र शिविर-आ0कालू में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner